

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011

जयपुर, दिनांक : 27.11.2012
परिपत्र संख्या : 33/2012

परिपत्र


राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012/नियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 को राज्य में शीघ्र ही लागू किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया है। उक्त पोर्टल पर उपापन संस्था उपापन से संबंधित सूचना को इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी।

राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड करने हेतु आपके विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना है। उक्त नोडल अधिकारी से संबंधित विवरण संलग्न प्रपत्र संख्या एसपीपीपी/02 में भरकर **caospfc@gmail.com** पर ईमेल कराते हुये फ़ैक्स नं. 0141-2227921 पर भी प्रेषित करें तथा एक अतिरिक्त प्रति संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को दिनांक 04.12.2012 से पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी अतिरिक्त जानकारी हेतु श्री भवानी शंकर शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (जीएण्डटी) विभाग से मोबाईल नं. 9414047422 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस हेतु समसंख्यक अ.शा.पत्र दिनांक 26.11.2012 द्वारा समस्त प्रशासनिक सचिवों को निवेदन किया गया है कि वे "पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड कराने हेतु आपके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों एवं संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कराया जाना है। अतः अनुरोध है इस हेतु संलग्न प्रपत्र संख्या SPPP/02 में भरकर **caospfc@gmail.com** पर ई-मेल कराते हुए इसकी प्रति नोडल अधिकारी संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) को शीघ्र भिजवाये जाने हेतु आपके स्तर से निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।"

इसी प्रकार समस्त विभागाध्यक्षों को भी समसंख्यक पत्र दिनांक 26.11.2012 द्वारा निवेदन किया गया है।


समस्त प्रशासनिक सचिवों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।


(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

संलग्न: अशा.टीप दिनांक 26.11.2012
व पत्र दिनांक 26.11.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग ।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. सिस्टम एनालिस्ट,, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।




[वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

विषय : राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु आपके अधीनस्थ विभागों के नोडल अधिकारी की सूचना भिजवाने हेतु।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 को राज्य में शीघ्र ही लागू किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया है। उक्त पोर्टल पर संबंधित कार्यालय से संबंधित सूचना को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पोर्टल पर प्रकाशित कराया जाना है। इस हेतु उक्त पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड कराने हेतु आपके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों एवं संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कराया जाना है। अतः अनुरोध है इस हेतु संलग्न प्रपत्र संख्या SPPP/02 में भरकर caospfc@gmail.com पर ई-मेल कराते हुए इसकी प्रति नोडल अधिकारी संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) को शीघ्र भिजवाये जाने हेतु आपके स्तर से निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।


(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : प्रपत्र प्रारूप।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
समस्त प्रमुख शासन सचिव
समस्त शासन सचिव

अशा.टीप संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011
जयपुर, दिनांक : 26.11.12

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प.1(8) वित्त/साविलेनि/2011

दिनांक: 26.11.2012

राजस्थान विभाग-एलए
राजकीय विभाग/ निगम/ मण्डल आदि

विषय:- राज. राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु आपके विभाग के नोडल
ऑफिसर की सूचना प्रेषित करने बाबत।

महोदय,

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक
उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 को राज्य में शीघ्र ही लागू किया जा रहा है।
उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया
है। उक्त पोर्टल पर उपापन संस्था उपापन से संबंधित सूचना को इस अधिनियम
तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी।

राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड करने हेतु आपके
विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना है। उक्त नोडल अधिकारी से
संबंधित विवरण संलग्न प्रपत्र संख्या एसपीपीपी/02 में भरकर
caospfc@gmail.com पर ईमेल कराते हुये फैक्स नं. 0141-2227921 पर भी
प्रेषित करें तथा एक अतिरिक्त प्रति संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग
को दिनांक 04.10.2012 से पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी
अतिरिक्त जानकारी हेतु श्री भवानी शंकर शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त
(जीएण्डटी) विभाग से मोबाईल नं. 9414047422 पर संपर्क किया जा सकता है।


संयुक्त शासन सचिव

Rajasthan State Public Procurement Portal

<http://sppp.raj.nic.in>

Application for creation of Nodal Officer Account

1.	Title* Mr./Mrs./Ms./Dr.		
2.	First Name*: Middle Name: Last Name*:		
3.	Designation*:		
4.	Email ID* say abc@nic.in: (Email ID be used as Login ID)		
5.	Name of Administrative Department*:		
6.	Department*:		
7.	Office Name*:		
8.	Address 1*:		
9.	Address 2:		
10.	District*:	11. City*:	
12.	State*:	13. Pin code*:	
14.	Phone*: +91:	STD	No:
15.	Fax : +91:	STD	No:
16.	Mobile: + 91-		
17.	User Role:	NODAL OFFICER	

Signature of the Nodal Officer

Signature of Administrator

Name:

Name:

Date:

Date:

Seal:

Seal:

Note: The completed, signed and scanned form may please be sent to the email-id An email will be sent confirming the creation of user account.

Disclaimer: The sole responsibility of the accuracy and validity of User Information / Contents in the Bid documents shall rest with the authorised user of the Account.

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM

- Kindly fill all fields in CAPITAL letters
- Email ID is used as Login ID in the portal. Please write your valid & working email ID.

Rajasthan State Public Procurement Portal

<http://sppp.raj.nic.in>

Application for creation of Procurement Entity Account

1.	Title* Mr./Mrs./Ms./Dr.		
2.	First Name*: Middle Name: Last Name*:		
3.	Designation*:		
4.	Email ID* say abc@nic.in: (Email ID be used as Login ID)		
5.	Name of Administrative Department*:		
6.	Department*:		
7.	Office Name*:		
8.	Address 1*:		
9.	Address 2:		
10.	District*:	11. City*:	
12.	State*:	13. Pincode*:	
14.	Phone*: +91:	STD	No:
15.	Fax : +91:	STD	No:
16.	Mobile: + 91-		
17.	User Role: PROCUREMENT ENTITY		

Signature of the Applicant

Name:-----

Date:

Signature of Nodal Officer

Name:-----

Date:

Seal:

Note: requested bid administration accounts details will be communicated by email.

Disclaimer: This account is meant for publishing and maintaining the Bid information on Rajasthan State Public Procurement Portal. The sole responsibility of the accuracy and validity of User information/Contents in the Bid documents shall rest with the authorised user of the Account i.e. the concerned Bid Inviting Authority is responsible for Bid Administration. NIC shall be responsible only for ensuring the system performance and security.

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM

- Kindly fill all fields in CAPITAL letters
- Email ID is used as Login ID in the portal. Please write your valid & working email ID.